विवरण 27 क
अतिरिक्त जानकारियों का प्रकटीकरण

भारत सरकार के चुनिंदा वाणिज्यिक रूप से संचालित उपक्रमों के बजटेत्तर संसाधनों का विवरण

भारत सरकार के चुनिंदा वाणिज्यिक रूप से संचालित उपक्रमों द्वारा जुटाए गए संसाधनों की देनदारियां एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 2(कक) (iii) के अनुसार भारत सरकार के ऋण का भाग नहीं हैं। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) द्वारा जुटाए गए संसाधनों का ब्यौरा सूचना के रूप में आगे दिया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)

I. संसदीय संविधि – भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के अधीन गठित – एनएचएआई का अधिदेश उक्त संविधि में विनिर्दिष्ट कार्य करना है। उक्त कानून की धारा 21 में इस प्राधिकरण के ऋण लेने संबंधी अधिकारों की रूपरेखा दी गई है।

II. आगे तालिका में बीते वर्षों के दौरान एनएचएआई द्वारा लिए गए ऋणों का सार दर्शाया गया है। एनएचएआई के ये ऋण केंद्र सरकार के ऋणों का भाग नहीं हैं (एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 2(कक) (iii) के अनुसार)। एनएचएआई द्वारा टोल संग्रहण के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों को शुरुआत में भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और फिर वार्षिक वित्तीय विवरण के माध्यम से यह राशि एनएचएआई को लौटा दी जाती है। एनएचएआई अन्य प्राप्तियों के साथ-साथ इन संसाधनों का उपयोग ऋण चुकाने के लिए करता है।

वित्त वर्ष	बकाया देनदारियां (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (₹ करोड़ में)
2004-05	5593	
2005-06	1289	-4303
2006-07	2789	1499
2007-08	3094	305
2008-09	3434	341
2009-10	3089	-345
2010-11	4944	1855
2011-12	15825	10882
2012-13	17574	1748
2013-14	23356	5782
2014-15	24188	832
2015-16	44567	20379
2016-17	74742	30176
2017-18	121931	47189
2018-19	178867	56936
2019-20	248281	69414
2020-21	306703	58423
2021-22	348522	41819
2022-23	342802	-5720
2023-24	335173	-7628

नोट: एन्युइटी परियोजनाओं के कारण एनएचएआई की देनदारियां विवरण 4: प्राप्ति बजट के भाग-ख में एन्युइटी परियोजनाओं की देनदारी में दर्शाई गई हैं।

भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी)

I. रेल मंत्रालय – केंद्र सरकार का वाणिज्यिक रूप से संचालित विभागीय उपक्रम – रोलिंग स्टॉक इत्यादि की आवश्यकताओं के संबंध में मानक वित्तपोषण लीज़ करारों के माध्यम से आईआरएफसी के साथ सहयोग करता है।

II. रेल मंत्रालय लीज पर ली गई परिसंपत्तियों के संबंध में लीज़ प्रभार की अदायगी आईआरएफसी को करता है। ये लेन-देन एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में केंद्र सरकार के ऋण की परिभाषा में नहीं आते हैं, और इसलिए इन्हें ऋण नहीं माना जाता है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि रेल मंत्रालय लीज करार के अधीन यह वचन देता है कि परिपक्व होने पर बॉण्ड को रिडीम करने या सावधि ऋणों को चुकाने के लिए निधियां वर्ष के दौरान नकदी के अपर्याप्त प्रवाह के कारण कम पड़ने की दशा में रेल मंत्रालय ऐसी कमी की पूर्ति करेगा। ऐसे भुगतानों को रेल मंत्रालय द्वारा आईआरएफसी को किए जाने वाले भावी भुगतानों से समायोजित किया जा सकता है।

III. रेल मंत्रालय के साथ वित्तपोषण लीज करार के अधीन आईआरएफसी द्वारा जुटाए गए संसाधनों का ब्यौरा आगे तालिका में दर्शाया गया है:

वित्त वर्ष	बकाया देनदारियां (करोड़ रुपए में)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (₹करोड़ रुपए में)
2004-05	15687	
2005-06	17752	2065
2006-07	20575	2823
2007-08	22936	2361
2008-09	28512	5575
2009-10	35693	7181
2010-11	43046	7354
2011-12	54817	11770
2012-13	66198	11381
2013-14	76539	10341
2014-15	82236	5697
2015-16	105909	23674
2016-17	131288	25378
2017-18	163988	32701
2018-19	221449	57461
2019-20	295350	73901
2020-21	409014	113664
2021-22	460344	51330
2022-23	478489	18145
2023-24	460253	-18236

नोट: बजटेत्तर संसाधन (ईबीआर) शब्दों का प्रयोग रेल मंत्रालय की व्यय रूपरेखा के रेल विवरणों में विवरण I (प्राप्तियों और व्यय का सार) तथा भाग V में रेल प्राप्तियों के संबंध में विवरण III में हुआ है। वाणिज्यिक रूप से संचालित विभागीय उपक्रम के रूप में रेल मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ आईआरएफसी बॉण्डों, *संस्थागत वित्त और साझेदारियों के माध्यम से संसाधन जुटाता है। ये संसाधन (पूरी तरह से चुकाए जाने वाले बॉण्ड इत्यादि) केंद्र सरकार के बजटेत्तर संसाधन नहीं हैं, जैसा कि* एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 2(कक) (iii) में परिभाषित किया गया है क्योंकि इनकी अदायगी या सर्विस वार्षिक वित्तीय विवरण से नहीं की जानी होती है।